विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– कालबाधित बकाया वसूली हेतु जारी सूचना के विरूद्ध अभ्यावेदन ।

प्रकरण क्रमांक / 03 / रायपुर / 2026

श्री रविकांत भागवत, ...आवेदक

पता – प्लाट नं. आई 12, सेक्टर 02,

अग्रोहा सोसायटी, जिला – रायपुर (छ.ग.)

मो.नं. 8109065234, 9407604262

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 13 / 02 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक श्री रविकांत भागवत द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 12.12.2025 यह है कि "मैं सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर अधिकारी रहा हूँ मुझसे सिक्युरिटी जमा के नाम 14404 रूपये लिए गए जो कि गलत है बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी से सिक्युरिटी जमा नहीं लिये जा सकते है और मेरे रिटायर्ड होने के पश्चात भी मुझे 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही थी बिजली ऑफिस को जानकारी थी कि मैं 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे छूट प्रदान की जा रही थी यदि चंगोराभाठा बिजली ऑफिस को जानकारी थी तो मुझे 50 प्रतिशत की छूट क्यूँ प्रदान की गयी अचानक आपका बकाया राशि है उसका भुगतान 7 दिन के अंदर करे ऐसा पत्र बिजली ऑफिस से भेजा गया, 86687 रूपये आपका बकाया है ऐसा लेटर भेजा गया, बिजली ऑफिस की गलती ये है की सेवानिवृत्त की जानकारी होने के पश्चात 50 प्रतिशत छूट को 25 प्रतिशत नहीं किया गया और अभी 86687 बिल में जोड़कर भेज दिया गया है बिजली विभाग की कर्मचारी की गलती की सजा मुझे क्यूँ दी जा रही है मेरा आपसे निवेदन है कि सिक्युरिटी जमा राशि को रिलीज करे जो अभी भी बिल में दिख रहा है और 86687 रूपये माफ करने की कृपा करे, क्यूँकि चंगोराभाठा बिजली ऑफिस की गलती की सजा मुझे क्यूँ दी जा रही है, जिस तरह से चंगोराभाठा बिजली वसूली का आदेश निकाला गया है वो अपने आप में गलत है, बिल की रिकवरी करने का तरीका भी अपने आप गलत है वो भी पांच साल के

उपरांत कृपया मेरी समस्या का समाधान करें । 02.12.2024 को मेरे द्वारा चंगोराभाठा बिजली ऑफिस में इस संदर्भ में शिकायत की थी जिसका उत्तर भी प्रदान नहीं किया गया ।"

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता चंगोराभाठा जोन, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 152 दिनांक 04.02.2026 को सूचित किया है कि :–

"श्री रविकांत भागवत, पता प्लाट नं. आई–12, सेक्ट.–02, अग्रोहा सोसायटी रायपुरा, रायपुर के द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से बिजली बिल की गलत रिकवरी का शिकायत किया गया है । इस परिसर पर स्थापित बी.पी.क्रमांक 1002132532 पर स्थापित मीटर का उपयोग श्री रविकांत भागवत द्वारा CSPDCL की सेवा में रहते हुए कंपनी द्वारा प्रदत्त 50% बिजली बिल में छूट का लाभ लिया जा रहा था और सेवानिवृत्त उपरांत बिजली बिल में यह छूट की राशि को आवेदन प्रदान करते हुए 50% से 25% किये जाने हेतु की सूचना इस कार्यालय को प्रदान नहीं किया गया और बिल में छूट को निरंतर जारी रखते हुए आर्थिक लाभ लिया गया है । अतः कंपनी द्वारा आपके आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु रू0 86638.00 का मांग पत्र की सूचना प्रेषित किया गया । तत्पश्चात रिकवरी राशि 86638/– विद्युत देयक में संयोजित की गई है और शीघ्र की भुगतान करने का निवेदन किया । साथ ही बिल में संयोजित त्रुटिपूर्ण सुरक्षानिधि की राशि 14404/– को हटा दिया गया है ।"

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 06.02.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. यह कि प्लाट नं. आई–12, सेक्टर –2 अग्रोहा सोसाईटी, रायपुर स्थित आवेदक के परिसर में आवेदक के नाम पर घरेलू श्रेणी का, 7.0 किलोवाट भार का स्थायी विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1002132532 के माध्यम से स्थापित है । आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में मुख्य अभियंता के पद पर रहते हुए दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । विभागीय कर्मचारी/अधिकारी को मासिक विद्युत देयक में प्राप्त होने वाली 50 प्रतिशत की छूट आवेदक को सेवानिवृत्त होने से पूर्व नियमतः उत्तरवादी द्वारा दी जाती रही थी । दिनांक 31.01.2019 को उत्पादन कंपनी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी आवेदक को उत्तरवादी द्वारा 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही जबकि नियमतः आवेदक को सेवानिवृत्त होने के बाद 25 प्रतिशत छूट ही प्रदान की जानी थी । पत्र दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा

आवेदक को सूचित किया गया कि उनके द्वारा ली गयी 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट की राशि रू. 86638.00 उनके विद्युत देयक में जोड़कर भेजी जा रही है जिसका भुगतान आवेदक द्वारा किया जाना है । आवेदक के अनुसार सेवानिवृत्ति पश्चात उत्तरवादी द्वारा प्रदत्त 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट विभागीय लापरवाही के कारण प्रदान की गयी है जिसके भुगतान की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर नहीं डाली जा सकती है । आवेदक के अनुसार उक्त अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही अनुचित एवं नियम विरूद्ध है ।

आवेदक के अनुसार उत्तरवादी द्वारा उससे अनुबंधित भार में वृद्धि किए जाने की प्रकिया के दौरान मांग पत्र में सुरक्षा निधि की राशि 14404.00 जोड़कर प्रेषित की गयी जबकि विभागीय सेवानिवृत्त अधिकारी होने के कारण उनसे सुरक्षा निधि की राशि नहीं ली जानी चाहिए ।

4. यह कि स्वयं के सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी उत्तरवादी द्वारा विद्युत देयक में प्रदान की गयी नियम विरूद्ध विभागीय छूट (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की अंतर राशि वसूल किए जाने, सुरक्षा निधि की राशि सहित मांग पत्र प्रेषित किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर एवं विभागीय छूट की अतिरिक्त राशि को निरस्त किए जाने के साथ मांग पत्र से सुरक्षा निधि राशि को वापस लिए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 152 दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की सेवा में रहते हुए नियमतः 50 प्रतिशत विभागीय छूट का लाभ लिया जा रहा था लेकिन सेवानिवृत्ति पश्चात विभागीय छूट को 50 से घटाकर 25 प्रतिशत किए जाने के संबंध में कार्यालय को सूचित नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें देयक में 50 प्रतिशत की छूट निरंतर प्राप्त होती रही । छूट के रूप में आवेदक द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि (25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत छूट की अंतर राशि) का मांग पत्र आवेदक को प्रेषित किए जाने के बाद वसूली योग्य राशि आवेदक के देयक में संयोजित कर दी गयी ।

उत्तरवादी के अनुसार आवेदक के देयक में त्रुटिपूर्ण तरीके से जोड़ी गयी सुरक्षा निधि की राशि को देयक से हटा दिया गया है ।

6. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या विभागीय कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पश्चात उत्तरवादी द्वारा दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) के विरूद्ध निकाली गयी, वसूली योग्य राशि का भुगतान आवेदक की जिम्मेदारी है ।

ब. क्या विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 56(2) के अनुसार उक्त राशि को, कालबाधित अवधि की राशि, की श्रेणी में रखा जा सकता है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

7. यह कि दिनांक 06.02.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदक द्वारा कथन किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में मुख्य अभियंता पद पर कार्य करते हुए माह जनवरी 2019 में वे सेवानिवृत्त हुए हैं । आवेदक के अनुसार माह नवंबर 2025 के मासिक विद्युत देयक में उत्तरवादी द्वारा 86663.82 रू. की अतिरिक्त राशि जोडकर प्रेषित की गयी । उत्तरवादी द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से सूचित किया गया कि वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके देयक में 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की विभागीय छूट दी जाती रही है । वर्ष 2019 से लेकर माह अक्टूबर 2025 तक की अवधि में प्रदायित अतिरिक्त छूट (25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत छूट की अंतर राशि) की राशि रू. 86638.00 उनके मासिक देयक में जोड़कर प्रेषित की गई थी ।

आवेदक के अनुसार भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के एक प्रावधान के अनुसार दो वर्ष की अवधि से अधिक समय तक बकाया राशि की वसूली नहीं किए जाने पर वह बकाया राशि वसूली योग्य नहीं रह जाती है । अपने तर्क के समर्थन में आवेदक द्वारा दैनिक अखबार में प्रकाशित एक समाचार का संदर्भ प्रस्तुत किया गया जिसमें विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलासपुर द्वारा किसी उपभोक्ता के विरूद्ध पूर्व अवधि की बकाया राशि को कालबाधित मानते हुए निरस्त किए जाने का आदेश जारी किया है ।

8. यह कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 56 यथा "Disconnection of supply in default of payment" की उपकंडिका (2) के अनुसार –

"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown

continuously as recoverable as arrears of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity."

अर्थात किसी उपभोक्ता से बकाया कोई धनराशि उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी, जब ऐसी धनराशि पहली बार बकाया हुयी थी । आवेदक को सेवानिवृत्ति पश्चात विभागीय छूट 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत दिए जाने का तथ्य उत्तरवादी के संज्ञान में माह अक्टूबर 2025 में आया । इसके बाद ही उत्तरवादी द्वारा आवेदक से वसूल किए जाने वाली राशि की गणना करते हुए नोटिस दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से मांग पत्र जारी किया गया । अर्थात उक्त वसूली योग्य राशि रू. 86663.00 पहली बार 12.12.2025 को बकाया राशि बनी । इस राशि की वसूली के लिए दो वर्ष की परिसीमा अवधि दिनांक 12.12.2025 से प्रारंभ होती है ।

9. यह कि स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त जवाबदावा दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 7235/2009, प्रकरण मेसर्स प्रेम कोटेक्स विरूद्ध उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में घोषित निर्णय दिनांक 05.10.2021 की कंडिका 13 का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है "Despite holding that electricity charges would become first due only after the bill is issued." जिसके अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रथम बार अतिरिक्त राशि का विद्युत देयक जारी किए जाने की तिथि (जो कि इस प्रकरण में दिनांक 12.12.2025 है) ही प्रथम बार देयक राशि के बकाया (first due) होने की तिथि है जिसके दो वर्ष के भीतर उत्तरवादी द्वारा आवेदक से नियमतः राशि वसूली की जानी है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित इसी निर्णय की कंडिका 12 यथा "Though the liability to pay arises on the consumption of electricity, the obligation to pay would arise only when the bill is raised by the licensee and that, therefore, electricity charges would become first due only after the bill is issued, even though the liability would have arisen on consumption." के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल जारी किए जाने के बाद ही देयक राशि प्रथम बार बकाया बनती है जिसके बाद दो वर्ष की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक की वसूली नियमानुसार नोटिस देते हुए एवं आवश्यक हो तो विद्युत विच्छेदन करते हुए की जा सकती है ।

10. यह कि उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष यह कथन किया गया कि आवेदक द्वारा अपने सेवानिवृत्त होने के पश्चात इसकी जानकारी एवं विभागीय छूट राशि को 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशित लिए जाने के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदायित 50 प्रतिशत की विभागीय छूट सेवानिवृत्ति के बाद भी निरंतर प्रदान की जाती रही । आवेदक द्वारा उत्तरवादी के कथन का खंडन करते हुए फोरम को बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में कभी भी विभागीय छूट प्रदान किए जाने के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन उत्तरवादी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तथापि उनके विभागीय अधिकारी होने के कारण उत्तरवादी द्वारा नियमानुसार उन्हें विभागीय छूट का लाभ प्रदान किया जाता रहा । आवेदक के अनुसार उत्तरवादी का यह कथन त्रुटिपूर्ण है कि विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद उनके द्वारा इसकी जानकारी कार्यालय को दी जानी थी । आवेदक के अनुसार उनके छ.रा.वि.उत्पादन कं. से सेवानिवृत्त होने की जानकारी विभाग को स्वयं होनी चाहिए थी एवं तद्नुसार विद्युत देयक में विभागीय छूट में परिवर्तन किया जाना था जो कि नहीं किया गया । फोरम यह मानता है कि आवेदक के सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार 50 प्रतिशत विभागीय दिए जाने के लिए आवेदक से अधिक उत्तरवादी जिम्मेदार है । विद्युत कनेक्शन के उपयोग के आधार पर सही टैरिफ दर श्रेणी तय करते हुए बिलिंग करना उत्तरवादी की जिम्मेदारी है जिसके निर्वहन में उत्तरवादी द्वारा चूक किया जाना दर्शित होता है ।

11. यह कि आवेदक द्वारा विभागीय विद्युत छूट की वसूली योग्य राशि को वसूल किए जाने के उत्तरवादी के तरीके पर भी आपत्ति दर्ज करते हुए कथन किया गया कि अपनी स्वयं की लापरवाही से विगत लगभग 07 वर्षों से प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि रू. 86663.00 जमा करने के लिए उत्तरवादी द्वारा मात्र 07 दिवस का समय प्रदान करते हुए नोटिस प्रेषित की गयी है जो कि न्यायसंगत नहीं है । पूर्व की लंबी अवधि में प्रदायित विभागीय छूट की राशि को जमा करने के लिए उत्तरवादी द्वारा किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जानी थी जो कि नहीं की गयी । फोरम, आवेदक के इस कथन से सहमत है कि विगत लगभग 07 वर्षों के दौरान नियम विरूद्ध छूट आवेदक को प्रदान किए जाने का तथ्य संज्ञान में आने के बाद वसूली योग्य राशि के भुगतान के लिए आवेदक को उत्तरवादी द्वारा पर्याप्त समय एवं किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जानी चाहिए ।

उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में फोरम को बताया गया कि आवेदक द्वारा किश्तों में भुगतान की सुविधा की मांग पूर्व में कभी नहीं की गयी । आवेदक द्वारा मांगे जाने

पर उन्हें यह सुविधा अवश्य प्रदान की जाती । उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा समस्त बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर दिया गया है ।

12. यह कि आवेदक के सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारी होने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा उनसे सुरक्षा निधि राशि की मांग किए जाने की कार्यवाही को अनुचित बताया गया । यद्यपि उत्तरवादी के जवाबदावा के अनुसार आवेदक के देयक में संयोजित सुरक्षा निधि राशि रू. 14404.00 को हटा लिया गया है ।

13. यह कि आवेदक द्वारा दो वर्ष से अधिक पूर्व अवधि की वसूली योग्य राशि को कालबाधित माने जाने के अपने तर्क के प्रमाण में अन्य वि.शि.नि. फोरम के निर्णय का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है । किसी अन्य समकक्ष फोरम के निर्णय को उदाहरण स्वरूप स्वीकार करने के लिए यह फोरम बाध्य नहीं है ।

14. यह कि फोरम के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 7235/2009, प्रकरण मेसर्स प्रेम कोटेक्स विरूद्ध उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में घोषित निर्णय दिनांक 05.10.2021 के प्रकाश में आवेदक से मांग की गयी पूर्व अवधि की वसूली योग्य राशि (25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत विभागीय छूट की अंतर राशि) को भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 56(2) के आधार पर कालबाधित नहीं माना जा सकता है । आवेदक के सेवानिवृत्त होने के पश्चात उत्तरवादी द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की वसूली योग्य राशि आवेदक से वसूल किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही को फोरम सही एवं नियमानुसार मानते हुए दो वर्ष से पूर्व की राशि को कालबाधित मानकर निरस्त किए जाने की आवेदक की मांग को खारिज करता है ।

15. आदेश पारित ।

16. प्रकरण निराकृत ।

17. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । निर्णय घोषित किया गया

(सही)
(निमिष परमार)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर

(सही)
(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर